



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्था०व्य०/नि०प्र०-०१(२०१७-१८) ३७७४

दिनांक: २४.८.१७

प्रेषकः संजय कुमार, शा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा बन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल 2.45 लाख रु० की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (२) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३ / १८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के कार्यालय ज्ञापांक-1443, दिनांक 21.07.17 के आलोक में उनके ही कार्यालय के लिए ही जा रही है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BRADA/01-17-18/57B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०—यथोः:

विश्वासभाजन,

४०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: ५बी०स्था०व्य०/वि०प्र०-०१(२०१७-१८) ३७७४

दिनांक: २४.८.१७

प्रतिलिपि— Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

२४.८.१७
24.8.17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखण्ड, राँची।

O/C